



कार्यालय-प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।



Email id: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax: 0135 2767611

संयुक्त राष्ट्र संघ
ONE EARTH - ONE PEOPLE - ONE FUTURE

पत्रांक- 3026 / 12-1 :देहरादून: दिनांक: 20-जून, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषय :- जनपद-नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड रामगढ़ में लक्ष्मीखान-नथुवाखान-प्यूड़ा-ब्वारब मोटर मार्ग के कि०मी० 11 में नवली नामक स्थान से लोश्जानी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.936 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(प्रस्ताव संख्या- FP/UK/ROAD/39655/2019)

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र दिनांक 27.01.2021।

महोदय,

भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल का पत्रांक 9820 /13-नावली दिनांक 30.06.2021 एवं पत्रांक 6990/12-1 दिनांक 16.05.2025 (प्रति संलग्न) के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है, जो कि निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है :-

क० सं०	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	वन भूमि विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद की वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
3	प्रतिपूरक वनीकरण:-	
	(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1872 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 1.872 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायें।	क) प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1872 पौधों का रोपण कार्य एवं दस वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों के आधार) ₹ 6,31,208.00 (छः लाख इक्कीस हजार दो सौ आठ मात्र) वन विभाग के पक्ष में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नैफ्ट/आर०टी०जी०एस० चालान के माध्यम से जमा की जा चुकी है। (संलग्नक-01 एवं 02) वन विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र में स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा, तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचा जा सकेगा।
	ख) राज्य सरकार पौधारोपण योजना के साथ क्षेत्र का नाम एवं coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।	ख) प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि पौधारोपण योजना के साथ क्षेत्र का नाम एवं coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। (संलग्नक-03)
4.	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तम्भ की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याषित लागत वृद्धि उपयुक्त प्रावधान शामिल	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तम्भ की लागत ऑनलाईन जमा करा दी गयी है। (संलग्नक-04)

किए जा सकते हैं।	
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य:- (क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या: 202/1995 में IA नं० 556 दिनांक 30.10.2020, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998 एफ.सी. (pt.2) दिनांक 18.09.2003 एवं 5-2/2006-एफ०सी० दिनांक 03.10.2016 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.936 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।
	(क) प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या: 202/1995 में IA नं० 556 दिनांक 30.10.2020, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998 एफ.सी. (pt.2) दिनांक 18.09.2003 एवं 5-2/2006-एफ०सी० दिनांक 03.10.2016 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार मु० 6,14,952.00 (रु० छः लाख चौदह हजार नौ सौ बावन मात्र) की धनराशि 0.936 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य/एन०पी०वी० ऑनलाईन जमा करा दिया गया है। (संलग्नक-04 के अनुसार) (ख) प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को जमा करने के आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। (संलग्नक-05)
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 53 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।
	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 53 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी, का बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-06)
7	डी०एफ०ओ० प्रस्तावित क्षेत्र की density को सत्यापित करेगा जोकि आनलाईन पार्ट 2 के पैरा 4 में 0.1 अंकित है तथा एन०पी०वी० सीट में 0.3 अंकित की गयी है।
	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित क्षेत्र की Density के सत्यापन हेतु प्रभागीय कार्यालय के पत्रांक 5762/12-1 दिनांक 30.01.2025 द्वारा वन क्षेत्राधिकारी, उत्तरी गौला से आख्या चाही गयी थी, जिसमें उनके द्वारा अपने पत्रांक 562/27-1 दिनांक 10.04.2025 द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित क्षेत्र की Density 0.1 से 0.3 तक है।
8.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh/nic/in/) के माध्यम क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।
	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। (संलग्नक-04 के अनुसार)
9.	गार्डलाइन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी
	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
10	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
11	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।
	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
12	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए
	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

	जाएँ।	
13	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
14	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
15	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषज्ञ वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
17	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
19	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
20	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017 FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार ही कार्यवाही होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
22	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
23	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरें। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूर्व किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
24	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद /नियम/न्यायालय/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं। तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

	जिम्मेवारी होगी।	
25	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी/प्रयोक्ता अभिकरण के अनुरोध के दृष्टिगत विषयांकित प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम-1980, यथासंशोधित-2023 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न- यथोपरि।

भवदीय,



(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक

एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।



संख्या- 3026 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
2. वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाँऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।



(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक

एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल ।

E-mail:dfonainital_uta@yahoo.com

Telefax.05942-236790

पत्रांक:- 9820 /13-नावली
सेवा में,

दिनांक 30/6 /2021

✓ अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
विषय :- जनपद-नैनीताल के अर्न्तगत विकास खण्ड रामगढ में लक्ष्मीखान-नथुवाखान-प्यूडा-ब्यारब
मोटर मार्ग के किमी 0 11 में नावली नामक स्थान से लोशजानी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु
0.936 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन । प्रस्ताव
संख्या (FP/UK/ROAD/39655/2019) ।
संदर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र
सं० 8वी०/यू०पी०सी०/०६/८६/२०२०/एफ०सी०/२१६८ दिनांक २७.०१.२०२१. एवं आपकी पत्र
सं० २०७८/FP/UK/ROAD/39655/2019 देहरादून, दिनांक ६ फरवरी २०२१ अधिशासी
अभियन्ता निर्माण खण्ड नैनीताल का पत्रांक १२७१/१८ एमजी दिनांक २२-६-२०२१ ।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें । विषयगत प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण,
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन
प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निम्न प्रकार किया गया है ।

१- शर्त न० ३(क) के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक
वृक्षारोपण एवं १० वर्षों तक रखरखाव की धनराशि रु ६,३१,२०८.०० (रु० छः लाख इक्तीस हजार दो सौ
आठ) मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है । संलग्नक-१ व २

२- शर्त न० ५(क) के अनुपालन में एन०पी०वी० की धनराशि रूपया ६,१४,९५२.०० (रु० छः लाख चौदह
हजार नौ सौ वावन) मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है । संलग्नक-१ व २

शर्त न० ५(ख) के अनुपालन में विशेषज्ञ रामिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा
प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो,
को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा । प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इसका एक शपथ पत्र
प्रस्तुत किया गया । संलग्नक- ४

३- शर्त न० १० के अनुपालन में एफ.आर.ए. २००६ का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित
प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा । प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सहमति व्यक्त की गई है ।

४- शर्त न० १० के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी० मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों
किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा । प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सहमति व्यक्त की गई है ।

५- शर्त न० १२ के अनुपालन में संरक्षित क्षेत्रों/ वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनिमय
साइनेज लगाए जाएंगे । प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सहमति व्यक्त की गई है ।

६- शर्त न० १३ के अनुपालन में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ के प्राविधानों के अनुसार,
उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है के सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत
कराया गया है ।

७- शर्त न० १७ के अनुपालन में संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की
सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा । प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सहमति व्यक्त की गई
है ।

८- शर्त न० २१ के अनुपालन में इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम १९८० का
उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या ११-४२/२०१७-
FC दिनांक २९.०१.२०१८ के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी । प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सहमति व्यक्त की गई है ।

९- शर्त न० २२ के अनुपालन में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के
संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्त लागू होंगी । प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सहमति व्यक्त की
गई है ।

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

रंजीत सं० १४८
नावली २४
दिनांक ६/७/२१

10-शर्त न0 23 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे । राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्ष्य में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलुवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनजीवित करने का कार्य किया जायेगा । मलेवे को यथा स्थान रचाने हेतु दीवों बनाई जाएगी । निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इसका स्थलीकरण एवं सुधार कार्य योजना अनुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलुवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सहमति व्यक्त की गई है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित अन्य शर्तों का अनुपालन आख्यौ प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत की गई है । प्रयोक्ता एजेन्सी का पत्र मय संलग्नक के संलग्नक किया जा रहा है ।

संलग्नक- यथोपरि ।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल ।

पत्रांक / उक्तदिनांकित ।

प्रतिलिपि — वन संरक्षक दक्षिणी कुमाऊ वृत नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी नैनीताल को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- अधिशासी अभियंता, निर्माण, खण्ड लो0नि0वि0 नैनीताल को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल ।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
नैनीताल।



☎ :05942 -235079, 233764 Fax,235079, Email: eecdnainitialpwd@rediffmail.com

पत्रांक:-

1271 / 18mg

दिनांक: 22/6/2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,
नैनीताल।

विषय:-

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड रामगढ में लक्ष्मीखान-नथुवाखान-प्यूड़ा-क्वारव मोटर मार्ग के किमी 11 में नावली नामक स्थान से लोश्जानी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.936 हैक्टेयर वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन, (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/34350/2018)

संदर्भ:-

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक, इंदिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 2078/FP/UK/ROAD/39655/2019 दिनांक 06.02.2021

महोदय,

: उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र एवं भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक 08बी०/यू०सी०पी०/०६/४६/२०२०/एफ०सी०/२१६८ दिनांक 27.01.2021 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अधिरोपित शर्तों के अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नवत प्रेषित है:-

- 1- शर्त संख्या-1, के अनुपालन में वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।
- 2- शर्त संख्या-2, के अनुपालन में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि(नापभूमि) को अधिग्रहित कर लिया गया है।
- 3- शर्त संख्या-3, प्रतिपूरक वनीकरण:- (क) खण्ड द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1872 पौधों का रोपण कार्य एवं दस वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों के आधार) रू० 6,31,208.00 (छ: लाख इक्तीस हजार दो सौ आठ मात्र) वन विभाग के पक्ष में इस कार्यालय के पत्रांक 751/कैश दिनांक 31.03.2021 द्वारा भारतीय स्टेट बैंक नैनीताल से नैफ्ट/आर० टी०जी०एस०चालान के माध्यम से जमा की जा चुकी है। (संलग्नक-01 से 02) वन विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र में स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा, तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचा जा सकेगा।

(ख) इस बिन्दु से संबंधित वांछित आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

- 4- शर्त संख्या-04 के अनुपालन में प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तम्भ की लागत आन लाईन जमा करा दी गयी है। (संलग्नक-03)
- 5- शर्त संख्या-05 शुद्ध वर्तमान मूल्य:- (क) भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रि०पी०(सि०) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ०सी०(14.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ०सी० दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार मू० 6,14,952.00 (रू० छ: लाख चौदह हजार नौ सौ बावन मात्र) की धनराशि 0.936 हैक्टेयर वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य/ एन०पी०बी० आन लाईन जमा करा दिया गया है। (संलग्नक-03)

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो को जमा करने के आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। (संलग्नक-04)

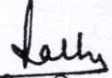
- 6- शर्त संख्या-06 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 53 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के साथ पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी का बचनबद्धता प्रमाण पत्र। (संलग्नक-05)
- 7- शर्त संख्या-07 के अनुपालन में अवगत कराया जाना है कि प्रस्तावित क्षेत्र की density जोकि आनलाईन पार्ट 2 के पैरा 4 में 0.1 अंकित है तथा एन0पी0वी0 सीट में 0.3 अंकित की गयी है जिसका सत्यापन आपके स्तर से किया जाना है।
- 8- शर्त संख्या-08, के अनुपालन में समस्त धनराशि ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धक और योजना प्राविधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित/ जमा किया गया है। कैम्पाकोष में जमा प्रति संलग्न है। (संलग्नक-03)
- 9- शर्त संख्या-09 के अनुपालन में गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।
- 10- शर्त संख्या-10 के अनुपालन में एफ0आर0ए0 2006, का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- शर्त संख्या-11 के अनुपालन में आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ा दी जायेगी।
- 12- शर्त संख्या-12 के अनुपालन में संरक्षित क्षेत्रों/वनक्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियम साईनेज लगाया जायेगा।
- 13- शर्त संख्या-13 के अनुपालन में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
- 14- शर्त संख्या-14 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।
- 15- शर्त संख्या-15 के अनुपालन में वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।
- 16- शर्त संख्या-16 के अनुपालन में मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।
- 17- शर्त संख्या-17 के अनुपालन में संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर ही भूमि पर सीमांकन कराया जायेगा।
- 18- शर्त संख्या-18 के अनुपालन में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।

- 19- शर्त संख्या-19 के अनुपालन में वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जायेगा।
- 20- शर्त संख्या-20 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
- 21- शर्त संख्या-21 के अनुपालन में इनमें, से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या-11-42/2017-एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उसपर कार्यवाही होगी, मान्य है।
- 22- शर्त संख्या-22 के अनुपालन में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी मान्य है।
- 23- शर्त संख्या-23 के अनुपालन में परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण पूर्व प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा।
- 24- शर्त संख्या-24 के अनुपालन में यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश/ आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी, मान्य है।
- 25- शर्त संख्या-25 के अनुपालन में यह रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in>) पर अपलोड कर प्रेषित की जायेगी।

अतः उपरोक्तानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या हार्ड कापी चार प्रतियों में मय संलग्नक के अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार। तीन-तीन हार्ड प्रतियां कुल 5 पृष्ठ।

भवदीय


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नैनीताल

पत्रांक:-

दिनांक:-

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नैनीताल

पत्रांक:-
सेवा में,

751 / 421

दिनांक:- 31/03/2021

शाखा प्रबन्धक,
भारतीय स्टेट बैंक,
मल्लीताल, नैनीताल।

विषय:- बैंकर्स चैक संख्या 179307 दिनांक 30/03/2021 को Neft/Rtgs द्वारा दिये गये चालान के अनुसार भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

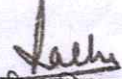
महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराया जाना है कि, खण्ड के अन्तर्गत नव स्वीकृत जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड रामगढ़ में लक्ष्मीखान-नथुवाखान-प्यूडा-क्वारब मोटर मार्ग के कि०मी० 11 में नावली नामक स्थान से लोश्जानी तक मोटर मार्ग निर्माण में एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि का भुगतान वन विभाग के कैम्पा कोष में रु० 12,46,160.00 मात्र का Neft/Rtgs चालान के माध्यम से भुगतान किये जाने हेतु ऑन लाईन चालान जनरेट हुआ है, जिसमें उसका खाता अंकित है, में Neft/Rtgs के माध्यम से धनराशि जमा की जानी है।

अतः उक्तानुसार बैंकर्स चैक सं० 179307 दिनांक 30/03/2021 रु० 12,46,160.00 मात्र (बारह लाख छियालीस हजार एक सौ साठ) एवं ऑन लाईन के माध्यम से जनरेट चालान की प्रति सहित मूल में संलग्न कर भुगतान किये जाने हेतु आपको प्रेषित किया जा रहा है, कृपया जनरेट चालान के अनुसार अंकित खाते में यह धनराशि Neft/Rtgs के माध्यम से हस्तान्तरित करने की कृपा करें।

संलग्न:- 1- बैंकर्स चैक संख्या 179307 दिनांक 30/03/2021 रु० 12,46,160.00 मूल में।
2- ऑन लाईन के माध्यम से जनरेट चालान - 03 प्रति में।

भवदीय



अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नैनीताल

o/c

Nawli MIR.

संलग्नक-2

AGENCY COPY	
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA	
Date : 08-03-2021	
Agency Name.	EE CD NAINITAL
Application No.	6139655996
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/86/2020/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Construction division, P.W.D. NainitalNainital
Amount(in Rs)	1246160/-
Amount In Words :Twelve Lakh Forty-Six Thousand One Hundred and Sixty Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896139655996 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003
• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only	

BANK COPY	
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA	
Date : 08-03-2021	
Agency Name.	EE CD NAINITAL
Application No.	6139655996
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/86/2020/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Construction division, P.W.D. Nainital Nainital
Amount(in Rs)	1246160/-
Amount In Words :Twelve Lakh Forty-Six Thousand One Hundred and Sixty Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896139655996 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003
• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only	

3235
Date 8/3/2021

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

Print

Back

Las
EE
Sr. Div. Asst. Officer
CD

Las
Executive Engineer
Construction Div. P. W. D.
NAINITAL



संलग्नक-4

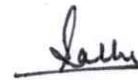
परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड रामगढ में लक्ष्मीखान-नथुवाखान-प्यूड़ा-क्वारव मोटर मार्ग के किमी 11 में नावली नामक स्थान से लोशजानी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.936 हैक्टेयर वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन

शपथ पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाए।



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नैनीताल.



अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नैनीताल.

संलग्नक-5

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड रामगढ में लक्ष्मीखान-नथुवाखान-प्यूडा-क्वारव मोटर मार्ग के किमी 11 में नावली नामक स्थान से लोशज्ञानी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.936 हैक्टेयर वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन

बचन बद्धता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 53 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नैनीताल।



अधीशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नैनीताल।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

E-mail: dfonainital@gmail.com

Telefax: 05942-236790

पत्रांक:— 6990 / 12-1

दिनांक 16/05/2025

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फौरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:—

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड रामगढ़ में लक्ष्मीखान नथुवाखान-प्यूडा-क्वारब मोटर मार्ग के कि०मी० 11 में नावली नामक स्थान से लोश्जानी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.936 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या - FP/UK/ROAD/39655/2019)

संदर्भ :—

आपकी पत्रांक संख्या 1621/12-1 दिनांक 13.12.2024।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से विषयांकित प्रस्ताव में लगायी गयी आपत्तियों की बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है—

क्र.सं.	आपत्ति	आख्या
1	शर्त संख्या 3 के अनुपालन में आप द्वारा प्रेषित प्रतिपूरक वृक्षारोपण योजना 1872 वृक्षों के स्थान पर मात्र 100 वृक्षों हेतु 1,81,000.00 की प्रेषित की गई है, जबकि 1872 वृक्षों के प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा रु० 6,31,208.00 जमा किये गये हैं।	1872 वृक्षों के रोपण हेतु प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी वर्तमान में प्रचलित दरों के अनुसार लागत रु० 9,18,823.00 (नौ लाख अठारह हजार आठ सौ तेईस मात्र) है। (संलग्नक 1)
2	भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त संख्या 7 "डी०एफ०ओ० प्रस्तावित क्षेत्र की density को सत्यापित करेगा जोकि ऑनलाईन पार्ट 2 के पैरा 4 में 0.1 अंकित तथा एन.पी.वी शीट में 0.3 अंकित की गयी है"।	प्रस्तावित क्षेत्र की density के सत्यापन हेतु इस कार्यालय की पत्रांक संख्या 5762/12-1 दिनांक 30.1.2025 द्वारा वन क्षेत्राधिकारी, उत्तरी गौला से आख्या चाही गयी थी, जिसमें उनके द्वारा अपने पत्रांक 562/27-1 दिनांक 10.4.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित क्षेत्र की density 0.1 से 0.3 तक है।

संलग्नक :- उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

पत्रांक

/ उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि — अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी नैनीताल
आ.का.नं. 1

29-5-25

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून
जी० सं० 5398
नावली 12-1
पत्रांक 30-05/25

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल



कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी उत्तरी गौला वन क्षेत्र (नथुवाखान)
पत्रांक-562/ 27-1 दिनांक - 10/04/ 2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी महोदय
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

विषय:-

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड रामगढ़ में लक्ष्मीखान-नथुवाखान-प्यूड़ा-क्वारब मोटर मार्ग के कि०मी० 11 में नावली नामक स्थान से लोशजानी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.936 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:-

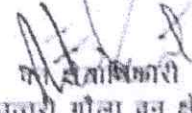
आपकी पत्र संख्या 5762/12-1 दिनांक 30.01.2025 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित एवं विषयक पत्र के कम में विषयांकित मोटर मार्ग में भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त संख्या 07 के कम में उक्त प्रस्तावित क्षेत्र का घनत्व 0.1 से 0.3 तक है। तथा उक्त क्षेत्र के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हरतोला क० सं० 16 में 1.702 है० भूमि उपलब्ध है। उक्त क्षेत्र का क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन (द्वादश वर्ष तक) धनराशि दक्षिणी कुमाँऊ वृत्त द्वारा संशोधित दरों के अनुसार- 918823.00 (नौ लाख अठ्ठारह हजार आठ सौ तेईस मात्र) है। जिसका प्राक्कलन संलग्नानुसार सेवा में प्रेषित किया जा रहा है।

अतः सूचना सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक:- 1-प्राक्कलन।

भवदीय

वन क्षेत्राधिकारी
उत्तरी गौला वन क्षेत्र

प्राक्कलन वावत् जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड रामगढ़ में लक्ष्मीखान-प्यूड़ा-ववारब मोटर मार्ग के कि० मी० 11 में नावली नामक स्थान से लोश्जानी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.936 हे० वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु अग्रिम मृदा कार्य

क्र. सं.	कार्य का विवरण	मात्रा ईकाई	दर	योग
प्रथम वर्ष (अग्रिम मृदा)				
1	साईड स्पेसिफिक प्लान (सर्वे डिमांडेशन, कं०एम०एल० फाईल तैयार करना, रुट स्टॉक की गणना कार्य मृदा परीक्षण कार्य)	1.702	हे०	1300.00 प्रति हे० 2212.60
2	क्षेत्र की सफाई	1.702	हे०	1260.00 प्रति हे० 2144.52
3	कुलीवाल (100 घ० मी० प्रति हे० 193 र० मी० प्रति हे० (1x0.45x1.15)	170.20	घ० मी०	682.00 प्रति घ० मी० 116076.40
4	पौध की कीमत (20 प्रतिशत क्षतिपूरक सहित) 1320 पौध	2246	पौध	16.68 प्रति पौध 37463.28
5	गड़ड़ा खुदान कार्य (0.30x0.30x0.45)	1872	गड़ड़े	15.60 गड़ड़े 29203.20
6	भूमि एवं जल संरक्षण कार्य 1- कन्दूर ट्रिन्च 450 र०मी० (450x35=15750.00) (औसत साईज- 1x0.30x0.30) 2- चाल-खाल 2 सं० (2x6500=13000) (औसत साईज - 4x2.5x1.00) कुल योग- 28750.00.	1.702	हे०	28750.00 प्रति हे० 48932.50
7	निरीक्षण बटिया	1.702	हे०	1045.00 प्रति हे० 1778.59
				योग 237811.09
8	अन्य आकस्मिक व्यय- स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर, मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण, निरीक्षण हेतु वाहन किराया/ईंधन श्रम कल्याण व औजार आदि)	1.702	हे०	1500.00 प्रति हे० 2553.00
				कुल योग 240364.09
				या 240364.00
द्वितीय वर्ष (वृक्षारोपण)				
1	गड़ड़ा भरान कार्य (0.30x0.30x0.45)	1872	गड़ड़े	2.60 प्रति गड़ड़ा 4867.20
2	कन्दूर फरों में बीज बुआई	766	र० मी०	1.69 प्रति र०मी० 1284.54
3	पौध की कीमत (20 प्रतिशत क्षतिपूरक सहित) 600 पौध	2246	पौध	2.53 प्रति पौध 5682.38
4	पौध बुलान वाहन द्वारा 50 किमी० दूरी से लोडिंग व अनलोडिंग सहित	1872	पौध	11.70 प्रति पौध 21902.40
5	सिर बोझ बुलान 03 किमी०	1872	पौध	9.30 प्रति पौध 17409.60
6	पौध रोपण	1872	पौध	4.51 प्रति पौध 8442.72
7	निराई गुड़ाई प्रथम बार	1872	पौध	1.51 प्रति पौध 2826.72
8	निराई गुड़ाई द्वितीय बार	1872	पौध	1.51 प्रति पौध 2826.72
9	खाद/रसायन	1872	पौध	0.46 प्रति पौध 861.12
10	देख-रेख व रख-रखाव 08 माह (कम से कम 05 हे० पर) (12844 दर से 08 माह) 05 हे० =20550.00	1.702	हे०	20550.00 प्रति हे० 34976.10
11	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 04 मी० पट्टी साफ करना	1.702	हे०	390.00 प्रति हे० 663.78
12	वृक्षारोपण अन्तर्गत प्राकृतिक रूप से जंग पौधों में सिगलिंग-पुनिंग व थायलाबन्दी कार्य (100 प्रति हे०)	1.702	हे०	23.40 प्रति हे० 3982.68
13	वृक्षारोपण क्षेत्र अन्तर्गत प्रति हे० 450 कटिंग का रोपण कार्य	1.702	हे०	1.50 प्रति हे० 1148.85
				योग 106884.81
14	अन्य आकस्मिक व्यय- स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर, मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण, निरीक्षण हेतु वाहन किराया/ईंधन श्रम कल्याण टोकरी, बरसाती औजार व साईन बोर्ड लगाना (3x4 फीट) आदि	1.702	हे०	1600.00 प्रति हे० 2723.20
				कुल योग 109608.01
				या 109608.00

तृतीय वर्ष- अनुरक्षण कार्य (प्रथम वर्ष)						
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 05 है0 पर (12844 दर से प्रति माह)/5 है0 = 30826.00)	1.702	है0	30826.00	प्रति है0	52465.85
2	20 प्रतिशत पौधों की क्षतिपूर्ति (पौध की कीमत व दुलान का मूल्य रोपण कार्य रोपण श्रमिक द्वारा किया जायेगा) वास्तविक क्षतिपूर्ति अनुसार मीके पर कार्य किया जायेगा	374	पौध	41.00	प्रति पौध	15334.00
3	निराई-गुड़ाई प्रथम बार	851	पौध	1.51	प्रति पौध	1285.01
4	निराई-गुड़ाई द्वितीय बार	851	पौध	1.51	प्रति पौध	1285.01
5	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 04 मी0 पट्टी साफ करना	1.702	है0	390.00	प्रति है0	663.78
					योग	71033.65
6	अन्य आकस्मिक व्यय-02 प्रतिशत	1.702	है0	100.00	प्रति है0	170.20
					कुल योग	71203.85
					या	71204.00
चतुर्थ वर्ष- अनुरक्षण कार्य (द्वितीय वर्ष)						
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 05 है0 पर (12844 दर से प्रति माह)/5 है0 = 30826.00)	1.702	है0	30826.00	प्रति है0	52465.85
2	20 प्रतिशत पौधों की क्षतिपूर्ति (पौध की कीमत व दुलान का मूल्य रोपण कार्य रोपण श्रमिक द्वारा किया जायेगा) वास्तविक क्षतिपूर्ति अनुसार मीके पर कार्य किया जायेगा	187	पौध	41.00	प्रति सैकड़ा	7667.00
3	निराई-गुड़ाई प्रथम बार	851	पौध	1.51	प्रति पौध	1285.01
4	निराई-गुड़ाई द्वितीय बार	851	पौध	1.51	प्रति पौध	1285.01
5	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 04 मी0 पट्टी साफ करना	1.702	है0	390.00	प्रति है0	663.78
					योग	63366.65
6	अन्य आकस्मिक व्यय-02 प्रतिशत	1.702	है0	100.00	प्रति है0	170.20
					कुल योग	63536.85
					या	63537.00
पंचम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (तृतीय वर्ष)						
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 05 है0 पर (12844 दर से प्रति माह)/5 है0 = 30826.00)	1.702	है0	30826.00	प्रति है0	52465.85
2	निराई-गुड़ाई प्रथम बार	851	पौध	1.51	प्रति पौध	1285.01
3	निराई-गुड़ाई द्वितीय बार	851	पौध	1.51	प्रति पौध	1285.01
4	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 04 मी0 पट्टी साफ करना	1.702	है0	390.00	प्रति है0	663.78
					योग	55699.65
5	अन्य आकस्मिक व्यय-02 प्रतिशत	1.702	है0	100.00	प्रति है0	170.20
					कुल योग	55869.85
					या	55870.00
षष्ठम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (चतुर्थ वर्ष)						
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 05 है0 पर (12844 दर से प्रति माह)/5 है0 = 30826.00)	1.702	है0	30826.00	प्रति है0	52465.85
2	निराई-गुड़ाई प्रथम बार	851	पौध	1.51	प्रति पौध	1285.01
3	निराई-गुड़ाई द्वितीय बार	851	पौध	1.51	प्रति पौध	1285.01
4	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 04 मी0 पट्टी साफ करना	1.702	है0	390.00	प्रति है0	663.78
					योग	55699.65
5	अन्य आकस्मिक व्यय-02 प्रतिशत	1.702	है0	100.00	प्रति है0	170.20
					कुल योग	55869.85
					या	55870.00

सप्तम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (पंचम वर्ष)						
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 05 है० पर (12844 दर से प्रति माह)/5 है० = 30826.00)	1.702	है०	30826.00	प्रति है०	52465.85
2	जिलाई-पुकाई प्रथम बार	851	पीघ	1.51	प्रति पीघ	1285.01
3	जिलाई-पुकाई द्वितीय बार	851	पीघ	1.51	प्रति पीघ	1285.01
4	सुरक्षा दीवाल/घेरवाड़ के बाहर 04 मी० पट्टी साफ करना	1.702	है०	390.00	प्रति है०	663.78
					योग	55699.65
5	अन्य आकस्मिक व्यय-02 प्रतिशत	1.702	है०	100.00	प्रति है०	170.20
				कुल योग		55869.85
				या		55870.00
अष्टम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (षष्ठम वर्ष)						
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 05 है० पर (12844 दर से प्रति माह)/5 है० = 30826.00)	1.702	है०	30826.00	प्रति है०	52465.85
2	सुरक्षा दीवाल/घेरवाड़ के बाहर 04 मी० पट्टी साफ करना	1.702	है०	390.00	प्रति है०	663.78
					योग	53129.63
3	अन्य आकस्मिक व्यय-02 प्रतिशत	1.702	है०	100.00	प्रति है०	170.20
				कुल योग		53299.83
				या		53300.00
नवम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (सप्तम वर्ष)						
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 05 है० पर (12844 दर से प्रति माह)/5 है० = 30826.00)	1.702	है०	30826.00	प्रति है०	52465.85
2	सुरक्षा दीवाल/घेरवाड़ के बाहर 04 मी० पट्टी साफ करना	1.702	है०	390.00	प्रति है०	663.78
					योग	53129.63
3	अन्य आकस्मिक व्यय-02 प्रतिशत	1.702	है०	100.00	प्रति है०	170.20
				कुल योग		53299.83
				या		53300.00
दशम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (अष्टम वर्ष)						
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 05 है० पर (12844 दर से प्रति माह)/5 है० = 30826.00)	1.702	है०	30826.00	प्रति है०	52465.85
2	सुरक्षा दीवाल/घेरवाड़ के बाहर 04 मी० पट्टी साफ करना	1.702	है०	390.00	प्रति है०	663.78
					योग	53129.63
3	अन्य आकस्मिक व्यय-02 प्रतिशत	1.702	है०	100.00	प्रति है०	170.20
				कुल योग		53299.83
				या		53300.00
एकादश वर्ष- अनुरक्षण कार्य (नवम वर्ष)						
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 05 है० पर (12844 दर से प्रति माह)/5 है० = 30826.00)	1.702	है०	30826.00	प्रति है०	52465.85
2	सुरक्षा दीवाल/घेरवाड़ के बाहर 04 मी० पट्टी साफ करना	1.702	है०	390.00	प्रति है०	663.78
					योग	53129.63
3	अन्य आकस्मिक व्यय-02 प्रतिशत	1.702	है०	100.00	प्रति है०	170.20
				कुल योग		53299.83
				या		53300.00

द्वादश वर्ष- अनुरक्षण कार्य (दशम वर्ष)

1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 05 है० पर (12844 दर से प्रति माह)/5 है० = 30826.00)	1.702	है०	30826.00	प्रति है०	52465.85
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 04 मी० पट्टी साफ करना	1.702	है०	390.00	प्रति है०	663.78
					योग	53129.63
3	अन्य आकस्मिक व्यय-02 प्रतिशत	1.702	है०	100.00	प्रति है०	170.20
					कुल योग	53299.83
					या	53300.00
योग (प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश तक)				कुल योग		918823.00

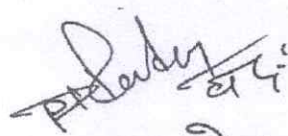
(पदावृत्त गणित)
वन दफ्तर
हस्तोला अनुभाग

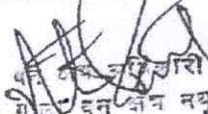
वन दफ्तर अधिकारी
हस्तोला अनुभाग
वैनीताल वन प्रभाग.

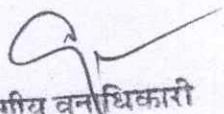
प्रभागीय वनाधिकारी
वैनीताल वन प्रभाग, वैनीताल

सूचक संख्या	सूचक संख्या	सूचक संख्या	78.1	54.7	8	0.7
		सूचक संख्या-108	68.2	39.9	III	0.3
		सूचक संख्या-24	38.9	27.2	III	0.9
		सूचक संख्या-3	128.2	122.3	III	0.9
		सूचक संख्या-38	19.8	10.8	III	0.5
		सूचक संख्या-4	123.1	109.4	II	0.5
		सूचक संख्या-34	45.0	38.5	III	0.6
		सूचक संख्या-44	90.6	89.1	II/III	0.6
		सूचक संख्या-54	64.3	60.3	II	0.5
		सूचक संख्या-64	35.7	22.8	II/III	0.5
		सूचक संख्या-7	69.6	69.6	II	0.4
		सूचक संख्या-8	78.9	78.9	II/III	0.6
		सूचक संख्या-114	35.6	13.1	II/III	0.9
		सूचक संख्या-10	47.3	25.0	III	1.0
		सूचक संख्या-14	126.3	120.2	III	0.7
		सूचक संख्या-15	75.3	72.9	III	0.4
		सूचक संख्या-16	64.0	64.0	III	0.5
		सूचक संख्या-22	68.4	59.1	III	0.4
		सूचक संख्या-23	98.7	90.6	III	0.5
		सूचक संख्या-24	57.1	51.5	III	0.7
		सूचक संख्या-25	60.7	55.7	III	0.7
		सूचक संख्या-26	101.6	93.9	III	0.5
		सूचक संख्या-27	114.9	110.1	III	0.4
		सूचक संख्या-28	87.0	83.8	III	0.9
		सूचक संख्या-29	37.6	37.6	III	0.6
		सूचक संख्या-30	88.2	85.8	III	1.0
		सूचक संख्या-31	72.8	70.8	III	0.9
		सूचक संख्या-32	52.2	52.2	III	0.6
		सूचक संख्या-33	73.6	73.6	III	0.6
		सूचक संख्या-34	48.2	42.1	III	0.6
		सूचक संख्या-35	104.0	104.0	III	1.0
		सूचक संख्या-36	59.5	59.5	III	0.4
		सूचक संख्या-37	40.1	40.1	III	0.7
		सूचक संख्या-38	69.2	69.2	III	0.4
		सूचक संख्या-4	61.5	35.9	III	0.6
		सूचक संख्या-5	107.3	60.7	III	0.6
		सूचक संख्या-6	92.7	69.2	III	0.3
		सूचक संख्या-16	110.9	110.9	III	0.4

द्वादश वर्ष- अनुरक्षण कार्य (दशम वर्ष)						
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 05 है० पर (12844 दर से प्रति माह)/5 है० = 30826.00)	1.702	है०	30826.00	प्रति है०	52465.85
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 04 मी० पट्टी साफ करना	1.702	है०	390.00	प्रति है०	663.78
					योग	53129.63
3	अन्य आकस्मिक व्यय-02 प्रतिशत	1.702	है०	100.00	प्रति है०	170.20
				कुल योग		53299.83
				या		53300.00
योग (प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश तक)				कुल योग		918823.00


 (पद्मादित्त पाण्डे)
 वन दफ्तर
 हमीरगढ़ जन्तुशाला


 वन दफ्तर
 हमीरगढ़ जन्तुशाला


 जन्तुशाला वन प्रभाग, हमीरगढ़